राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर.

निगरानी संख्या – 2177/2014/आबकारी/बीकानेर

आसूराम पुत्र रूखाराम जाट,
निवासी ग्राम बांकासरा सरली, बाड़मेर. .....अपीलार्थी

बनाम

1. आबकारी आयुक्त, राजस्थान, उदयपुर.
2. अतिरिक्त आयुक्त, आबकारी जोन, बीकानेर.
3. जिला आबकारी अधिकारी, बीकानेर.
4. प्रहराधिकारी, आबकारी निरोधक दल, नोखा, बीकानेर. .....प्रत्यर्थी

खण्डपीठ
श्री मनोहर पुरी, सदस्य
आशा कुमारी, सदस्य

उपस्थित : :

श्री ओ. पी. दोसाया, अभिभाषक .....अपीलार्थी की ओर से
श्री आर. के. अजमेरा,
उप–राजकीय अभिभाषक .....प्रत्यर्थी की ओर से

निर्णय दिनांक : 16/03/2015

निर्णय

1. यह निगरानी निगरानीकर्ता आसुराम पुत्र रूखाराम जाट द्वारा आबकारी आयुक्त, उदयपुर के प्रकरण क्रमांक प.29(बी)(07)/अपील/पी.एस./वाहन/आब/2013/3875 में पारित किये गये आदेश दिनांक 18.02.2014 के विरूद्ध राजस्थान आबकारी अधिनियम, 1950 (जिसे आगे **'आबकारी अधिनियम'** कहा जायेगा) की धारा 9(ए) के अन्तर्गत प्रस्तुत की गयी है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि आबकारी आयुक्त, राजस्थान जयपुर के अपील संख्या 07/2013 श्री आसुराम जाट बनाम अतिरिक्त आयुक्त जोन–बीकानेर में दिनांक 18.02.2014 को दिये गये निर्णय के द्वारा अपील अस्वीकार करते हुए आबकारी अधिनियम की धारा 69 के प्रावधानों के अनुसार अधिहरण (Confiscation) से मुक्ति के विकल्प स्वरूप जुर्माना राशि रूपये 3,00,000/– के आरोपण को इस आधार पर यथावत रखा कि वाहन स्वामी अपने वाहन को आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत घटित होने वाले अपराध में प्रयुक्त होने में बचाव किया हो, या सावधानी बरती हो, का साक्ष्य प्रस्तुत करने में असफल रहे।

3. दिनांक 04.09.2012 को वाहन बोलेरो रजिस्ट्रेशन नं0 RJ-04-T.A.1-1455 में अवैध अंग्रेजी शराब को परिवहनित करने पर आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत वाहन को जब्त किया गया। उक्त वाहन के वाहन स्वामी आसुराम द्वारा आबकारी अधिनियम की धारा 69(4) के अन्तर्गत इस जब्त वाहन को छुड़ाने के लिये आवेदन प्रस्तुत किये जाने पर अतिरिक्त आयुक्त जोन बीकानेर ने आदेश

आशा कुमारी

लगातार..... 2

दिनांक 04.12.2012 के द्वारा अधिहरण से मुक्ति के विकल्प स्वरूप जुर्माना राशि रूपये 3,00,000/— जमा कराने पर वाहन सुपुर्द करने का विकल्प दिया।

4. वाहन स्वामी द्वारा अतिरिक्त आयुक्त आबकारी जोन—बीकानेर के दिनांक 04.12.2012 के आदेश के विरूद्ध माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर में एस.बी.सिविल रिट संख्या 13137/12 दायर की गई। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा उक्त स्थगन याचिका का निस्तारण आदेश दिनांक 18.12.2012 से करते हुए निम्न आदेश दिया गया —

> "In the meanwhile, the vehicle confiscated shall not be put to auction provided the petitioner deposits a sum of Rs. 1,50,000/- within a period of two weeks and furnishes solvent surety for the remaining amount to the satisfaction of District Excise Officer, Bikaner. On compliance of the order passed as aforesaid by the petitioner, the vehicle seized shall be released to him on Supardginama."

5. याचिका संख्या 13137/12 का निर्णय दिनांक 22.03.2013 के द्वारा निस्तारण किया गया —

> "In view of the aforesaid remedy available under the Act all the above writ petitions are hereby disposed of with liberty to the petitioners to avail statutory remedy under Section 9.A of the Act of 1950 before the Excise Commissioner/Tax Board within a period of one month from the date of receiving certified copy of this order. In the event of filing appeal by the individual petitioner the same shall be decided expeditiously on merit after providing opportunity of hearing to the parties, within a period of one month thereafter and, till decision of the appeal, the interim order, if any, passed by this Court in the writ petition shall remain in force. Further, it is clarified that at the time of deciding the appeal the appellate authority shall consider the prayer of the petitioners for reducing penalty, sympathetically and objectively."

6. माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने याचिका संख्या एस.बी.सिविल रिट 4229/2014 आसुराम बनाम राजस्थान सरकार का आदेश दिनांक 24.11.2014 द्वारा निम्न प्रकार निस्तारण किया गया है —

> "Learned counsel for the petitioner seeks permission to withdraw the writ petition with liberty to avail the remedy of filing a revision petition before the Tax Board available under Section 9A of the Rajasthan Excise Act, 1950.
>
> Permision is granted.
>
> The writ petition is dismissed as withdrawn with the liberty, as prayed for."

आशा कुमार

लगातार.....3

7. निगरानीकर्ता द्वारा प्रस्तुत निगरानी प्रार्थना–पत्र के पैरा संख्या 5, 6 व 8 निम्न प्रकार हैं :–

"5. यह कि अतिरिक्त आयुक्त के आदेश दिनांक 04.12.2012 के विरूद्ध उक्त आदेश को निरस्त करने के लिये निगरानीकर्ता के द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर के समक्ष रिट याचिका संख्या 13137/2012 दायर की गई। उक्त याचिका पर माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय की एकल पीठ के द्वारा दिनांक 22.03.2013 को निर्णय दिया गया एवं निर्णय में निगरानीकर्ता को अवसर दिया गया कि वह आबकारी अधिनियम 1950 के अन्तर्गत अतिरिक्त आयुक्त के आदेश के विरूद्ध उचित उपचार पाने के लिए अपील आदि करने की कार्यवाही का अवसर उठा सकेगा। निगरानी को निम्नानुसार निस्तारित कर दिया गया।

"Further, it is clarified that at the time of deciding the appeal the appellate authority shall consider the prayer of the petitioners for reducing penalty, sympathetically and objectively."

6. यह कि माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 22.03.2013 की पालना में निगरानीकर्ता ने अतिरिक्त आयुक्त बीकानेर के आदेश दिनांक 04.12.2012 के विरूद्ध माननीय आबकारी आयुक्त महोदय, उदयपुर को अपील की एवं उसमें निवेदन किया कि अतिरिक्त आयुक्त महोदय द्वारा निगरानीकर्ता पर आरोपित की गई शास्ति को हटाया जावे अथवा कम किया जावे एवं माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा निर्णय के आधार पर निगरानीकर्ता के प्रकरण में सद्भावनाजनक एवं उद्देश्यजनित निर्णय लिया जावे, चूंकि निगरानीकर्ता पर आरोपित की गई शास्ति अत्यधिक मात्रा में है, साथ ही निगरानीकर्ता वाहन को किराये पर चलाकर जीविकोपार्जन चलाता है एवं निगरानीकर्ता की माली हालत भी सुदृढ़ नहीं है। (उच्च न्यायालय के निर्णय की प्रति संलग्न है।)

8. यह कि निगरानीकर्ता के द्वारा पूर्व में आदेश दिनांक 04.12.2012 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई रिट याचिका के साथ राशि रूपये 3,00,000/– अक्षरे तीन लाख रूपये की वसूली को स्थगित किए जाने के लिए स्टे आवेदन भी माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जिस पर माननीय उच्च न्यायालय की एकल पीठ ने दिनांक 18.12.2012 को आदेश दिया कि उक्त राशि में से 1,50,000/– रूपये याची के द्वारा जमा कराए जायें एवं शेष के लिए आवश्यक प्रतिभूति प्रस्तुत की जाये। माननीय उच्च न्यायालय के आदेश की पालना में राशि 1,50,000/– रूपये निगरानीकर्ता के द्वारा दिनांक 28.12.2012 को जमा करवा दी गई एवं शेष राशि के लिए जमानत प्रस्तुत कर दी गई। माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 18.12.2012 की छायाप्रति संलग्न है।"

लगातार.....4

8. बहस के दौरान विद्वान अभिभाषक प्रार्थी द्वारा कथन किया कि उनके प्रकरण में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 18.12.2012 सपठित आदेश दिनांक 22.03.2013 से रूपये 1,50,000/— जमा कराये जाने तथा शेष राशि की जमानत प्रस्तुत किये जाने पर शेष राशि के सम्बन्ध में स्थगन प्रदान किया हुआ है, जो कि आदिनांक तक प्रभावी है। ऐसी स्थिति में उनके प्रकरण में आबकारी अधिनियम की धारा 9ए(बी) के परन्तुक के अनुसार माननीय कर बोर्ड के समक्ष निगरानी प्रस्तुत किये जाने हेतु कुल मांग राशि की 75% राशि जमा कराया जाना आज्ञापक नहीं है। अतः निगरानी की ग्राह्यता व शेष राशि जमा कराये जाने के सम्बन्ध में प्रकरण में प्रथम दृष्टया सुविधा संतुलन प्रार्थी के पक्ष में होने से निगरानी श्रवणार्थ ग्रहण की जावे एवं शेष राशि की वसूली की कार्यवाही माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 18.12.2012 सपठित निर्णय दिनांक 22.03.2013 के आलोक में स्थगित की जावे।

9. अप्रार्थी राजस्व के विद्वान उप—राजकीय अभिभाषक की ओर से कथन किया कि आबकारी अधिनियम की धारा 9ए के तहत आबकारी आयुक्त के आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत किये जाने पर कुल मांग राशि की 75% राशि जमा कराया जाना बाध्यकारी प्रावधान है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 18.12.2012 के द्वारा वाहन को नीलामी की कार्यवाही से सुरक्षित करने की एवज में रूपये 1,50,000/— एवं शेष राशि की जमानत प्रस्तुत किये जाने के आदेश दिये गये हैं, ना कि राजस्थान कर बोर्ड के समक्ष निगरानी प्रस्तुत करने के सम्बन्ध में। ऐसी स्थिति में प्रार्थी द्वारा आबकारी अधिनियम की धारा 9ए के बाध्यकारी प्रावधानों की पालना नहीं किये जाने के कारण निगरानी चलने योग्य नहीं होने से श्रवणार्थ ग्रहण नहीं की जा सकती। उक्त कथन के साथ विद्वान उप—राजकीय अभिभाषक ने प्रार्थी की निगरानी अस्वीकार किये जाने पर बल दिया।

10. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण से सम्बन्धित माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के निर्णय का भी ससम्मान अध्ययन किया गया।

11. निगरानी की ग्राह्यता के सम्बन्ध में आबकारी अधिनियम की धारा 9ए का अवलोकन किया जाना समीचीन है, जो निम्न प्रकार है :—

9A. Appeals & Revision -

(1) An appeal shall lie -

(a) to the Excise Commissioner from any order passed by an Excise Officer under this Act, and

लगातार.....5

(b) to the Division bench of the Rajasthan Tax Board constituted under Sec. 88 of the Rajasthan Value Added Tax Act, 2003, from any order passed by the Excise Commissioner under this Act otherwise than on appeal.

(2) Any appeal under Sub-section (1) may be preferred at any time within sixty days from the date of the order complained of.

(3) The decision of the Excise commissioner or the Board of Revenue as the case may be, on such appeal shall, subject to the result of revision, if any, under Sub-section (4), be final.

(4) The Division Bench of the Board of Revenue may revise any order passed on appeal by the Excise Commissioner.

Provided that no appeal shall be entertained unless it is accompanied by a satisfactory proof of payment of 75% of the amount of the demand created by the order appealed against.

(5) Any revision under Sub-section (4) may be preferred at any time within thirty days from the date of the order complained of.

12. आबकारी अधिनियम की धारा 9ए के परन्तुक के अनुसार अपील आदेश में सृजित मांग राशि का 75% राशि भुगतान का समाधानकारक प्रमाण प्रस्तुत करने पर अपील ग्रहण किये जाने योग्य होती है। प्रकरण में मांग राशि रूपये 3,00,000/– का 75% रूपये 2,25,000/– के पेटे केवल रूपये 1,50,000/ जमा कराये गये हैं। शेष राशि की जमानत प्रस्तुत की गयी है।

13. राजस्थान कर बोर्ड के समक्ष आबकारी अधिनियम की धारा 9ए में रिवीजन की ग्राह्यता के लिये आबकारी आयुक्त के आदेश से सृजित मांग राशि की 75% राशि भुगतान करनें की शर्त की पालना आज्ञापक है, परन्तु हस्तगत प्रकरण में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के एस.बी.सिविल रिट पिटिशन संख्या 13137/12 में पारित निर्णय दिनांक 18.12.2012 व 22.03.2013 में पारित स्थगन/अंतरिम आदेश प्रभाव में रहने के कारण आबकारी आयुक्त के निर्णय के विरूद्ध प्रस्तुत निगरानी ग्राह्य है।

14. माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 18.12.2012 सपठित निर्णय दिनांक 22.03.2013 के अवलोकन से भी यह स्पष्ट है कि माननीय न्यायालय द्वारा प्रार्थी की ओर से वाहन की एवज में रूपये 1,50,000/– जमा कराने एवं शेष राशि की जमानत प्रस्तुत करने के आदेश दिये गये हैं, साथ ही राजस्थान कर बोर्ड में निगरानी दायर किये जाने हेतु स्वतंत्र किया गया है। उक्त आदेशों की पालना में प्रार्थी द्वारा रूपये 1,50,000/– जमा कराते हुए शेष राशि की जमानत प्रस्तुत कर दी गयी है।

30/2/11

लगातार.....6

उक्त आदेश के साथ ही आदेश दिनांक 22.3.2013 द्वारा उक्त अन्तरिम आदेश को यथावत रखते हुए, धारा 9ए के तहत कर बोर्ड में अपील प्रस्तुत करने की स्वतंत्रता प्रदान की गयी है। अतः अप्रार्थी विभाग के विद्वान उप–राजकीय अभिभाषक की यह प्राथमिक आपत्ति कि प्रार्थी द्वारा आबकारी अधिनियम की धारा 9ए के बाध्यकारी प्रावधानों के तहत कुल मांग राशि की 75% राशि जमा नहीं करवाई गई है, चलने योग्य नहीं रहती है।

15. परिणामस्वरूप प्रार्थी द्वारा आबकारी आयुक्त के आदेश दिनांक 18.02.2014 के विरूद्ध प्रस्तुत निगरानी श्रवणार्थ ग्रहण की जाती है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के सिविल रिट पिटिशन नं0 13137/2012 में आदेश दिनांक 22.03.2013 के अनुसार अपील निर्णय तक अंतरिम आदेश प्रभाव में रहने के कारण स्थगन जारी रहेगा।

16. अधीनस्थ न्यायालय का रेकॉर्ड तलब किया जावे। मिसल सुनवाई हेतु दिनांक 20.04.2015 को खण्डपीठ के समक्ष पेश हो। पक्षकारों को सूचित किया जावे।

आशा कुमारी 16.03.2015

(आशा कुमारी)
सदस्य

16.03.2015

(मनोहर पुरी)
सदस्य